टंकण गति परीक्षा आवेदन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

1. आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाना चाहिए।
2. कार्यालयाध्यक्ष के प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर होने चाहिए। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्मिक का आवेदन–पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदन–पत्र का परीक्षण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों, निर्देशों एवं आदेशों के अनुरूप कर लिया गया है तथा कार्मिक कम्प्यूटर टंकण परीक्षा हेतु आवश्यक पात्रता रखता है।
3. आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क 500 रूपये का नवीनतम डी.डी./बैंकर चैक संलग्न होगा। डी.डी./बैंकर चैक जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के नाम से बनाया जाना है।
4. आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति स्पष्ट एवं सुपाठ्य अक्षरों में होनी चाहिए। अपूर्ण तथा अधूरे भरे हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगें।
5. आवेदक के पदस्थापन स्थान का नाम एवं पता पूर्ण एवं सुपाठ्य अक्षरों में अंकित होना चाहिए।
6. पिन कोड नम्बर आवश्यक रूप से लिखना है।
7. फोटो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
8. आवेदन पत्र पर कर्मचारी के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए।
9. आवेदन पत्र पर कर्मचारी का पहचान चिन्ह अंकित होना चाहिए।
10. आवेदन पत्र पर कम्प्यूटर टंकण का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
11. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रवेश पत्र में प्रेषिती में आवेदक के कार्यालय का नाम एवं पूर्ण पता (जिला एवं पिन कोड सहित) लिखा जाना अनिवार्य है तथा इसकी अन्य प्रविष्टियों (नाम, पिता/पति का नाम, माध्यम) की पूर्ति भी आवेदक के द्वारा की जानी है।
12. आवेदन पत्र की छाया प्रति भी स्वीकार्य होगी एवं आवेदन पत्र जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
13. टंकण गति परीक्षा से संबंधित सामान्य जानकारी विभागीय वेबसाइट अथवा दूरभाष से भी प्राप्त की जा सकती है।
14. अनुकंपा पर नियुक्त कार्मिक को केवल कम्प्यूटर पर ही टंकण गति परीक्षा देनी होगी।
15. कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा हिन्दी में ' ˘ó Ȇ¹ ⋕ ƚı– व अंग्रेजी में &ƚ°ßȆ˘ß⋕ ƚı– में ली जावेगी।
16. कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षार्थी को हिन्दी माध्यम में न्यूनतम 240 सही शब्द/अंग्रेजी माध्यम में 280 सही शब्द 10 मिनट में टंकित करने होंगें।
17. आवेदन पत्र कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से ही भिजवाना होगा, जिला कार्यालय को सीधे प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
18. जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तीन वर्ष की समयावधि में कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा उतीर्ण नहीं की गई है उनको आगामी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्मिक विभाग द्वारा जारी शिथिलन प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत करनी होंगी।